



## नागरिक चार्टर/ ग्राहक चार्टर

भारी उद्योग विभाग  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

<http://www.dhi.nic.in>

**दृष्टिकोण** - विभाग के अंतर्गत आधुनिक, स्वस्थ और सुदृढ़ ऑटो, हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल और कैपिटल गुड्स सेक्टर तथा स्वनिर्भर और विकासोन्नमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम रखना।

**ध्येय-** भारी उद्योग विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उपकरणों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ रुग्ण और हानि उठा रहे उपकरणों के पुनर्गठन और पुनरुद्धार का प्रयास करता है। भारी उद्योग विभाग राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान तथा विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के जरिए अत्याधुनिक अनुसंधान तथा परीक्षण अवसंरचना का निर्माण कर वैश्विक ऑटोमोटिव उत्कृष्टता के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। भारी उद्योग विभाग ऑटो सेक्टर, हेवी इलेक्ट्रिकल्स तथा कैपिटल गुड्स उद्योग के सभी सेक्टरों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करा कर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है।

**सेवाएं-** यह विभाग नागरिकों, भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों, एसोसिएशनों, सांविधिक निकायों, प्रशासनिक प्राधिकरणों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित राज्यों को सेवाएं देता है जैसाकि नीचे मानदंडों के साथ "मुख्य सेवाएं" के अंतर्गत दर्शाया गया है:

### मुख्य सेवाएं/ व्यवहार

| क्र.सं.                   | सेवाएं/ व्यवहार   | भार % | उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)   | ई-मेल  | मोबाइल (दूरभाष) नंबर | प्रक्रिया   | आवश्यक दस्तावेज   | शुल्क      |            |             |
|---------------------------|---|-------|-----------------------------|--|----------------------|---|---|------------|------------|-------------|
|                           |   |       |                             |  |                      |   |   | श्रेणी     | तरीका      | राशि (रुपए) |
| <b>नागरिकों को सेवाएं</b> |   |       |                             |  |                      |   |   |            |            |             |
| 1.                        | विकलांग व्यक्तियों के लिए संशोधित कारों की खरीद पर उत्पाद शुल्क में छूट पाने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना। | 10.0  | ए.ई.आई. के प्रभारी अवर सचिव | @  | @                    | आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र की प्राप्ति<br>प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच<br>सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन<br>प्रमाण पत्र जारी करना | 1. चिकित्सा प्रमाण पत्र<br>2. विनिर्माता का प्रमाण पत्र<br>3. व्यक्ति से शपथ पत्र (ब्यौरे/ आवश्यक दस्तावेज के प्रपत्र के लिए कृपया <a href="http://www.dhi.nic.in">www.dhi.nic.in</a> पर लिंक करें) | लागू नहीं। | लागू नहीं। | लागू नहीं।  |
| 2.                        | शिकायतों को दूर   | 10.0  | श्री विश्वजीत               | <a href="mailto:Vishvajit.sahay@">Vishvajit.sahay@</a> | 011-23061858         | शिकायत की प्राप्ति और   | लागू नहीं।  | लागू नहीं। | लागू नहीं। | लागू नहीं।  |

|    |  |   |  |  |   |           |              |  |
|----|--|---|--|--|---|-----------|--------------|--|
|    | करना   | सहाय,<br>संयुक्त<br>सचिव और<br>शिकायत<br>निवारण<br>निदेशक | <a href="mailto:nic.in_pgcell-dhi@nic.in">nic.in_pgcell-dhi@nic.in</a> या  | पावती जारी<br>करना<br><br>संबंधित केन्द्रीय<br>सार्वजनिक क्षेत्र<br>के उद्यम /भारी<br>उद्योग विभाग के<br>अनुभाग को<br>भेजना<br><br>संबंधित प्राधिकरणों से<br>इनपुट प्राप्त<br>करना<br><br>संबंधित व्यक्ति<br>को की गई<br>कार्रवाई रिपोर्ट<br>भेजना<br><br>सीपीजीआरए<br>एमएस को<br>अपेडट करना |   |           |              |  |
| 3. | सूचना का<br>अधिकार के<br>आवेदन पत्र<br>( यह सेवा<br>सूचना का<br>अधिकार<br>अधिनियम,<br>2005 के<br>तहत दृढ़ता<br>से प्रदान की<br>जाती है ) | 10.0  | श्रीमती वेद<br>ज्योति,<br>अवर<br>सचिव<br>और नोडल<br>अधिकारी,<br>आरटीआई<br>ऑनलाइन<br>पोर्टल<br>CPIOS<br>@@<br>भारी उद्योग | <a href="mailto:Jyoti.ved@nic.in">Jyoti.ved@nic.in</a><br><br>011-<br>23061709   | सूचना का<br>अधिकार<br>अधिनियम के<br>आवेदन या<br>अपीलीय<br>प्राधिकारी द्वारा<br>प्रथम अपील<br>प्राप्ति<br><br>धारा 6(3)<br>केतहत संबंधित<br>विभाग/केन्द्रीय<br>सार्वजनिक क्षेत्र | लागू नहीं | लागू<br>नहीं | पीएण्डएओ,<br>भारी उद्योग<br>विभाग या<br>डीडीओ, भारी<br>उद्योग विभाग<br>के पक्ष में<br>दिल्ली में<br>भुगतान योग्य<br>डिमांड फ्राफ्ट<br>/पे ऑर्डर/<br>भारतीय<br>पोस्टल ऑर्डर |

|  |  |  |  |   |  |                                       |  |
|--|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--|
|  |  | <p>विभाग में<br/>केन्द्रीय जन<br/>सूचना अधि<br/>-कारियों<br/>/अपीलीय<br/>प्राधिकारिय<br/>ों का<br/>विवरण</p> |  | <p>के उद्यम को<br/>आवेदन पत्र<br/>भेजना, यदि<br/>आवश्यक हो।</p> <p>धारा 5(4) के<br/>तहत सूचना पाने<br/>के लिए संबंधित<br/>अधिकारियों को<br/>आवेदन अग्रेषित<br/>करना</p> <p>आवेदक को<br/>सूचना भेजना</p> <p>अपीलीय<br/>प्राधिकारी द्वारा<br/>पहली अपील का<br/>निपटारा।</p> |  | <p>या प्राप्ति के<br/>एवज में नकद</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--|

#### केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्त अनुसंधान संस्थान-एफसीआरआई, एआरएआई, नैट्रिप/ओद्योगिक एसोसिएशन/कंपनियों को सेवाएं

|    |   |     |   |   |   |  |               |               |               |
|----|---|-----|---|---|---|--|---------------|---------------|---------------|
| 4. | क्षमता<br>विस्तार,<br>प्रौद्योगिकी<br>उच्चयन,<br>संयंत्र,<br>मशीनरी के<br>आधुनिकीक<br>रण,<br>प्रौद्योगिकी<br>सहयोग के<br>प्रस्तावों पर<br>निर्णय और<br>निधि जारी<br>करना। | 5.0 | केन्द्रीय<br>सार्वजनिक<br>क्षेत्र के<br>उद्यम के<br>प्रभारी<br>निदेशक/<br>उप सचिव | @ | <p>प्रस्तावों की<br/>जांच</p> <p>अंतर मंत्रालयी<br/>परामर्श, यदि<br/>आवश्यक हो।</p> <p>सक्षम प्राधिकारी<br/>का अनुमोदन<br/>प्राप्त करना।</p> <p>अंतिम आदेश<br/>जारी करना।</p> | <p>प्रस्ताव के समर्थन में दस्तावेज<br/>प्रस्तुत किए जाएं</p> | लागू<br>नहीं। | लागू<br>नहीं। | लागू<br>नहीं। |
|----|---|-----|---|---|---|--|---------------|---------------|---------------|

|    |  |      |                                    |  |              |   |  |            |            |            |
|----|--|------|------------------------------------|--|--------------|---|--|------------|------------|------------|
| 5. | केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण/ हानि उठा रहे उद्यमों को वित्तीय सहायता देना।   | 10.0 | श्री विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव   | <a href="mailto:Vishvajit.sahay@nic.in">Vishvajit.sahay@nic.in</a> | 011-23061858 | <p>प्रस्ताव की जांच</p> <p>मंत्रिमंडल नोट तैयार करना।</p> <p>अंतर मंत्रालयी परामर्श</p> <p>सीसीईए का अनुमोदन</p> <p>वित्तीय सहायता जारी करना</p> <p>अंतर मंत्रालयी परामर्श</p> <p>समक्ष प्राधिकारी का अनुमोदन</p> <p>स्वीकृति आदेश जारी करना।</p> | प्रस्ताव के समर्थन में दस्तावेज तथा पिछले अनुमोदन के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएं।  | लागू नहीं। | लागू नहीं। | लागू नहीं। |
| 6. | कैपिटल गुड्स सेक्टरों अर्थात् हेवी इंजीनियरिंग , हेवी इलेक्ट्रिकल और ऑटो सेक्टर के लिए आयातित मशीनरी और उपकरणों के संबंध में | 10.0 | सेक्टर के प्रभारी निदेशक / उप सचिव | @  | @            | <p>आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन की प्राप्ति</p> <p>आवेदन की जांच</p> <p>औद्योगिक सलाहकार की सलाह लेना</p> <p>कम्युनिकेशन जारी करना</p>  | <p>1. आईईएम / आईएल की प्रति</p> <p>2. प्लांट ले आउट</p> <p>3. आयात की जाने वाली मशीनरी/ उपकरण का ब्यौरा</p> <p>4. प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार/ अन्य से मिले क्लीयरेंस की प्रतियां(ब्यौरे/ आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के लिए www.dhi.nic.in पर जाएं)</p> | लागू नहीं। | लागू नहीं। | लागू नहीं। |

|    |   |     |   |   |   |  |           |           |           |           |
|----|---|-----|---|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|    | "प्रोजेक्ट इंपोर्ट स्कीम" के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर के लिए सीमा शुल्क विभाग को सिफारिशें  |     |   |   |   |  |           |           |           |           |
| 7. | निम्न लिखित के संबंध में नैट्रिप, केसाक्षेत्र, भारी उद्योग विभाग के अधीन स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग एसोसिएशन औं से प्राप्त संदर्भ पर कार्रवाई:-<br>(क) हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 5.0 | औद्योगिक सेक्टर के प्रभारी निदेशक/उप सचिव | @ | @ | <p>प्रस्ताव की जांच</p> <p>अंतर मंत्रालयी परामर्श</p> <hr/> <p>सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन</p> <hr/> <p>अंतिम आदेश जारी करना</p> | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

|  |                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (ख) हेवी इंजीनियरिंग और मशीन टूल्स   |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ग) ऑटो मोबाइल एंड अलाइंड इंडस्ट्रीज |  |  |  |  |  |  |  |

**केंद्रीय सरकारी मंत्रालय/विभागों/राज्य सरकारों/ सांविधिक संगठन**

|    |   |      |  |   |   |   |                             |            |            |            |
|----|---|------|--|---|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 8. | नीति मामलों पर अन्य मंत्रालयों /विभागों/ राज्य सरकारों/ सांविधिक निकायों से प्राप्त संदर्भ और एफआई पीबी और पीएबी के संबंध में वैयक्तिक संदर्भों पर टिप्पणियां देना। | 10.0 | औद्योगिक सेक्टर के प्रभारी निदेशक/ उप सचिव | @ | @ | प्रस्तावों की जांच  | लागू नहीं                   | लागू नहीं। | लागू नहीं। | लागू नहीं। |
|    |   |      |  |   |   | संबंधित प्राधिकरणों /केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से इनपुट प्राप्त करना | सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन |            |            |            |
| 9. | निम्न लिखित के लिए प्राप्त  | 10.0 | औद्योगिक सेक्टर के प्रभारी अपर             | @ | @ | प्रस्ताव की जांच  | लागू नहीं                   | लागू नहीं। | लागू नहीं। | लागू नहीं। |
|    |   |      |  |   |   | औद्योगिक सलाहकारों की   | लागू नहीं                   |            |            |            |

|     |   |      |   |   |   |  |                         |                          |            |
|-----|---|------|---|---|---|--|-------------------------|--------------------------|------------|
|     | प्रस्तावों के संबंध में डीजीएफटी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत करना:-<br>क) शुल्क छूट योजना के अंतर्गत कच्चे माल / कलपुर्जों का आयात ख)<br>प्रतिबधित मदों का आयात |      | सचिव/ संयुक्त सचिव  |   | सलाह लेना<br>सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन<br>अंतिम टिप्पणियां देना |  |                         |                          |            |
| 10. | केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्राधिकरणों के साथ मामले उठाना तथा अन्य  | 10.0 | केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/ औद्योगिक सेक्टर के प्रभारी निदेशक / उप सचिव | @ | @   | प्रस्ताव की जांच<br>संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/ अन्य संबंधित प्राधिकरणों को संपर्क करना<br>सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना<br>टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करना। | लागू नहीं<br>लागू नहीं। | लागू नहीं।<br>लागू नहीं। | लागू नहीं। |

|     |   |      |   |   |                  |   |           |              |           |           |
|-----|---|------|---|---|------------------|---|-----------|--------------|-----------|-----------|
|     | मंत्रालयों /<br>विभागों/<br>राज्य<br>सरकारों/<br>अन्य<br>ग्राहकों से<br>प्राप्त संदर्भों<br>के संबंध में<br>केन्द्रीय<br>सावजनिक<br>क्षेत्र के<br>उपक्रमों के<br>साथ प्रभावी<br>कार्रवाई<br>करना। |      |   |   |                  |   |           |              |           |           |
| 11. | वार्षिक<br>रिपोर्ट का<br>समय पर<br>प्रकाशन  | 10.0 | श्री आर के<br>परमार,<br>औद्योगिक<br>सलाहकार | <a href="mailto:Ea.dhi@nic.in">Ea.dhi@<br/>nic.in</a> | 011-<br>23062714 | भारी उद्योग<br>विभाग में<br>केसाक्षेत्र/<br>स्वायत्त<br>अनुसंधान<br>संस्थान/<br>अनुभागों से<br>सामग्री प्राप्त<br>करना<br><u>सामग्री एकत्र<br/>करना और हिंदी<br/>अनुवाद</u><br><u>सक्षम प्राधिकारी<br/>का अनुमोदन</u><br><u>वार्षिक रिपोर्ट<br/>का मुद्रण</u> | लागू नहीं | लागू<br>नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

|  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  | लोक सभा/<br>राज्य सभा के<br>पटल पर रखना |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

@इमेल पता और दूरभाष संख्या के लिए [www.dhi.nic.in](http://www.dhi.nic.in) देखें।

@@ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकारियों के विवरण के लिए, [www.dhi.nic.in](http://www.dhi.nic.in) देखें।

### सेवा मानकों की आवश्कताएं

| क्र.सं.                   | सेवाएं/ व्यवहार   | सेवा भार | सफलता का सूचक                                       | सेवा मानदण्ड | इकाई       | भार  | आंकड़ा स्रोत |
|---------------------------|---|----------|---|--------------|------------|------|--------------|
| <b>नागरिकों को सेवाएं</b> |   |          |   |              |            |      |              |
| 1.                        | विकलांग व्यक्तियों के लिए संशोधित कारों की खरीद पर उत्पाद शुल्क में छूट पाने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना। | 10.0     | पूर्ण आवेदन प्राप्ति की तिथि से लिया गया अधिकतम समय | 30           | कार्य दिवस | 10.0 | रिकार्ड      |
| 2.                        | शिकायतों को दूर करना  | 10.0     | शिकायत प्राप्ति की तिथि से लिया गया अधिकतम समय:     | 2            | कार्य दिवस | 2.0  | रिकार्ड      |
|                           |   |          | पावती जारी करना                                     |              |            |      |              |
|                           |   |          | आवेदन का ऑनलाइन हस्तांतरण                           |              |            |      |              |
|                           |   |          | की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजना                        |              |            |      |              |
|                           |   |          | अपील, यदि कोई हो, का निपटारा                        |              |            |      |              |
| 3.                        | सूचना का अधिकार के आवेदन  | 10.0     | आवेदन प्राप्ति की तिथि से लिया गया अधिकतम समय       | 5 दिन        | कार्य दिवस | 2.0  | रिकार्ड      |
|                           |   |          | अन्य विभागों को आवेदन भेजना                         |              |            |      |              |
|                           |   |          | आवश्यक सूचना देने का कम्युनिकेशन जारी करना          |              |            |      |              |
|                           |   |          |   | 30 दिन       | कार्य दिवस | 5.0  |              |
|                           |   |          |   | 30 दिन       | कार्य दिवस | 3.0  |              |

|   |   |      |  |    |            |      |         |
|---|---|------|--|----|------------|------|---------|
|   |   |      | प्रथम अपील का निपटारा  |    |            |      |         |
| केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों स्वायत्त अनुसंधान संस्थान-एफसीआरआई, एआरएआई, नैट्रिप/ऑद्योगिक एसोसिएशन/कंपनियों को सेवाए |   |      |  |    |            |      |         |
| 4.  | क्षमता विस्तार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, संयंत्र, मशीनरी के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी सहयोग के प्रस्तावों पर निर्णय और निधि जारी करना।   | 5.0  | पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय   | 90 | कार्य दिवस | 5.0  | रिकार्ड |
| 5.  | केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रूण/ हानि उठा रहे उद्यमों को वित्तीय सहायता देना।  | 10.0 | पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय (पिछली तिमाही के वेतन के देय होने के तीन माह बाद प्रस्ताव भेजा जाए) | 90 | कार्य दिवस | 10.0 | रिकार्ड |
| 6.  | कैपिटल गुड्स सेक्टरों अर्थात हेवी इंजीनियरिंग, हेवी इलेक्ट्रिकल और ऑटो सेक्टर के लिए आयातित मशीनरी और उपकरणों के संबंध में "प्रोजेक्ट इंपोर्ट स्कीम" के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर के लिए सीमा शुल्क विभाग को सिफारिशें   | 10.0 | पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय   | 30 | कार्य दिवस | 5.0  | रिकार्ड |
| 7.  | निम्नलिखित के संबंध में नैट्रिप, केसाक्षेत्र, भारी उद्योग विभाग के अधीन स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग एसोसिएशनों से प्राप्त संदर्भ पर कार्रवाई:- (क) हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ख) हेवी इंजीनियरिंग और मशीन ट्रूल्स (ग) ऑटो मोबाइल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज | 5.0  | पूर्ण प्रस्ताव/ संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय   | 90 | कार्य दिवस | 5.0  | रिकार्ड |
| केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय/विभागों/राज्य सरकारों/ सांविधिक संगठन   |   |      |  |    |            |      |         |
| 8.  | नीति मामलों पर अन्य मंत्रालयों /विभागों/ राज्य सरकारों/ सांविधिक निकायों से प्राप्त संदर्भ और एफआईपीबी और पीएबी के संबंध में वैयक्तिक संदर्भों पर टिप्पणियां देना।  | 10.0 | पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय   | 30 | कार्य दिवस | 10.0 | रिकार्ड |
| 9.  | निम्नलिखित के लिए प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में डीजीएफटी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत करना:-<br>क) शुल्क छूट योजना के अंतर्गत कच्चे माल /  | 10.0 | पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय   | 30 | कार्य दिवस | 10.0 | रिकार्ड |

|     |  |      |   |         |            |      |         |
|-----|--|------|---|---------|------------|------|---------|
|     | कलपुर्जों का आयात<br>ख) प्रतिबिधित मदों का आयात  |      |   |         |            |      |         |
| 10. | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्राधिकरणों के साथ मामले उठाना तथा अन्य मंत्रालयों / विभागों/ राज्य सरकारों/ अन्य ग्राहकों से प्राप्त संदर्भों के संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रभावी कार्रवाई करना। | 10.0 | पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय और टिप्पणियां प्रस्तुत करना। | 60      | कार्य दिवस | 10.0 | रिकार्ड |
| 11. | वार्षिक रिपोर्ट का समय पर प्रकाशन  | 10.0 | संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लक्ष्य तिथि                            | 30 जून* | दिनांक     | 10.0 | रिकार्ड |

\*वार्षिक रिपोर्ट संसद के बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई तारीख तक प्रस्तुत की जाएगी।

### सेवा प्राप्त करने वालों से निर्दर्शक अपेक्षाएं

| क्रम सं. | सेवा प्राप्त करने वालों से अपेक्षाएं  |
|----------|---|
| 1.       | निधियों की निर्मुक्ति संबंधी प्रस्ताव दिशानिर्देश के अनुसार पूरा होना चाहिए।  |
| 2.       | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/एसासिएशनों/भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ स्वायत्त निकायों से नियमित फीड बैक।   |
| 3.       | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/एसोसिएशनों आदि द्वारा रिपोर्ट/रिटर्न की समय पर प्रस्तुति।   |
| 4.       | शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए परिवर्तित कार की खरीद पर उत्पाद शुल्क में उपयुक्त छूट प्राप्त करने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पूर्ण आवेदन पत्र।   |
| 5.       | इनपुट/तकनीकी परामर्श लेने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, अनुसंधान संस्थान/एसोसिएशन आदि से प्राप्त प्रस्ताव स्वतः स्पष्ट और सभी प्रकार से परिपूर्ण होने चाहिए। |

### शिकायत निवारण प्रणाली।

#### निदेशक (शिकायत)

संयुक्त सचिव,  
भारी उद्योग विभाग,  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011  
टेलीफोन - 23063740, फैक्स -23063740

ई-मेल :- pgcell-dhi@nic.in

## शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

सेवा प्राप्त कर्ता शिकायत को भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट [www.dhi.nic.in](http://www.dhi.nic.in)/ शिकायत पोर्टल <http://pgportal.gov.in> पर व्यक्तिगत रूप में अथवा पोस्ट अथवा ई-मेल या फैक्स के माध्यम से निदेशक (शिकायत) को दर्ज करवा कर सकते हैं।

## शिकायतकर्ता से अपेक्षा

- शिकायत का विषय संगत व्यौरों के साथ स्पष्ट होना चाहिए।
- शिकायतकर्ता का पूरा पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल पता दर्शाया जाना चाहिए।
- यदि विषय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/अनुसंधान संस्थान के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो शिकायत सीधे संबंधित प्राधिकरण को भेजी जा सकती है।

## प्रत्युत्तर की समय सीमा

- डाक द्वारा शिकायत की प्राप्ति सूचना- दो कार्यदिवस के भीतर होनी चाहिए।
- सीपीजीआरएमएस द्वारा की गई शिकायत की ई-प्राप्ति-सूचना शीघ्र होनी चाहिए।
- अतिरिक्त सूचना के लिए पत्र व्यवहार, यदि अपेक्षित हो-15 कार्यदिवस के भीतर होना चाहिए।
- की गई कार्रवाई रिपोर्ट- 30 कार्यदिवस के भीतर दी जानी चाहिए।

## स्टेकहोल्डर /ग्राहकों की सूची

| क्रम सं.      | स्टेकहोल्डर /ग्राहकों का विवरण   |
|---------------|--|
| <b>नागरिक</b> |  |
| 1.            | संशोधित कारों की खरीद पर उत्पाद शुल्क में छूट चाहने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति  |
| 2.            | भारी उद्योग विभाग को जन शिकायत भेजने वाले असंतुष्ट व्यक्ति/ आरटीआई आवैदक   |
| <b>ग्राहक</b> |  |
| 3.            | 'प्रोजेक्ट इंपोर्ट स्कीम' के तहत सीमा शुल्क की रियायती दरों की मांग करने वाली कंपनियां/फर्म  |
| 4.            | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सूची के अनुसार)   |
| 5.            | फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफसीआरआई), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), एआरएआई - फोर्जिंग इंडस्ट्री डिवीजन (एआरएआई-एफआईडी) |
| 6.            | इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नालॉजी (आईकैट), नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नैट्रिप)                  |

|    |  |
|----|--|
| 7. | <p>एसोसिएशन</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली (एसीएमए)</li> <li>● सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, नई दिल्ली(एसआईएम)</li> <li>● इंटरनेशनल माइनिंग एण्ड मशीनरी एकिजिबिशन, केरल (आईएमएमई)</li> <li>● इण्डियन इलेक्ट्रोनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली (आईईएमए)</li> <li>● इण्डस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएएमए)</li> <li>● सिंपोजियम ऑन इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एसआईएटी)</li> <li>● ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (टीएमए), नई दिल्ली</li> <li>● नैट्रिप इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी (नैटिस),</li> <li>● इण्डियन मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएमटीएमए)</li> <li>● इण्डियन टेक्सटाइल एसेसरीज एण्ड मशीनरीज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुम्बई (आईटीएमएमए)</li> <li>● टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इंडिया), मुम्बई (टीएमएमए)</li> <li>● इण्डियन प्रिंटिंग पैकेजिंग एण्ड अलाइड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश (आईपीएमए)</li> <li>● प्रोसेस प्लांट एण्ड मशीनरी एसोसिएशन, मुम्बई (पीपीएमएआई)</li> <li>● कनफेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री, नई दिल्ली (सीआईआई)</li> <li>● दी एसोसिएटेड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली (ऐसोचैम)</li> <li>● फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नई दिल्ली, (फिक्की)</li> </ul> |
| 8. | <p>सांविधिक/प्रशासनिक प्राधिकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर)</li> <li>● लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)</li> <li>● राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी)</li> </ul>   |
| 9. | <p>केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग:-</p> <p>योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , गैर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना और प्रसारण</p>  |

|    |   |
|----|---|
|    | मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक प्रशासन विभाग, सडक परिवहन विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, लोक उद्यम विभाग, रेलवे, पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग, प्रेस सूचना ब्यूरो |
| 10 | राज्य सरकारें/ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन   |

## भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

| क्र.सं. | केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम और पता   |
|---------|--|
| 1.      | एण्डू यूल एण्ड कंपनी, यूल हाऊस, 8, डा.राजेन्द्र प्रसाद सरणी, कोलकाता- 700 001                        |
| 2.      | भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीएचईएल हाऊस, सिरी फोर्ट एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली - 110 049     |
| 3.      | भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, 26, राजा संतोष रोड, कोलकाता - 700 027                                 |
| 4.      | बीबीजे कंस्ट्रक्शन कं.लि., 27, आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता - 700 001                                  |
| 5.      | बीएचईएल-इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड, बेडराइका पोस्ट, कसेरगौड - 671124 केरल                            |
| 6.      | भारत पम्स एण्ड कंप्रेशर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद - 211 010  |
| 7.      | रिचर्ड्सन एण्ड क्रुडास लिमिटेड, भायकुला आयरन वर्क्स, पो. बॉ.सं.4503, सर जे जे रोड, मुम्बई - 400 008  |
| 8.      | त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद -211 010   |
| 9.      | तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिला बेलारी, तुंग भद्रा बांध- 583 225                            |
| 10.     | ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड, पांचवां तल, कंकरिया सेंटर, 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता- 700 071         |
| 11.     | सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोर-5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110 003      |
| 12.     | इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड, कोर-3, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110 003 |
| 13.     | हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, रुबी बिल्डिंग, 75-सी, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016             |
| 14.     | नगालैण्ड पल्य एण्ड पेपर कार्पोरेशन, पो.आ०.- पेपर नगर, जिला- मोकोकचुंग, नगालैण्ड -798623              |
| 15.     | हिन्दुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड, न्यूज़प्रिन्ट नगर, जिला-कोट्टायम, केरल - 686 616                   |
| 16.     | एचएमटी लिमिटेड, 59, बेलारी रोड, बैंगलूर - 560 032  |
| 17.     | एचएमटी (आई) लिमिटेड, 59, बेलारी रोड, बैंगलूर - 560 032   |
| 18.     | एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड, 59, बेलारी रोड, बैंगलूर - 560 032  |
| 19.     | एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, 59, बेलारी रोड, बैंगलूर - 560 032   |

|     |   |
|-----|---|
| 20. | एचएमटी वाचेज लिमिटेड, 59, बेल्लारी रोड, बैंगलूर - 560 032   |
| 21. | एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड, जेनाकोट, श्रीनगर- 190 017   |
| 22. | हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, 9, एलिग्न रोड, कोलकाता - 700 020  |
| 23. | हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, बी-427, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर - 302 017  |
| 24. | सांभर साल्ट्स लिमिटेड, बी-427, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर - 302 017  |
| 25. | राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), 2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर - 302 012, राजस्थान |
| 26. | हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, प्लांट प्लाजा रोड, पो.ओ.-धुर्वा, रांची - 834 004                                 |
| 27. | एचपीएफ लिमिटेड, इंदु नगर, ऊटकमंड - 643 005, तमिलनाडु  |
| 28. | इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, झालावाड़ रोड, कोटा, राजस्थान- 324 005  |
| 29. | नेपा लिमिटेड, नेपा नगर - 450 221, मध्य प्रदेश   |
| 30. | स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, सरोजिनी नगर, पीओ बॉक्स सं.1, लखनऊ- 226 008  |
| 31. | टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, लेसली हाऊस, 19, जवाहर लाल नेहरू रोड, कोलकाता- 700 087                             |
| 32. | हुगली प्रिंटिंग कं.लि., यूल हाऊस, 8, डा.राजेन्द्र प्रसाद सरणी, कोलकाता- 700 001                                       |
| 33. | फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कांजीकोडे वेस्ट, पलककड़, केरल - 678 623  |
| 34. | ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, सर्वे न. 102, वेटल हेल्थ ऑफ पौड रोड, कोथरुड, पुणे- 411 004                       |
| 35. | नैट्रिप, एनबीसीसी प्लेस, साउथ टावर, तीसरा तल, प्रगति विहार, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003                             |

जारी करने की तिथि: मार्च, 2015  
आगामी चार्टर समीक्षा तिथि: मार्च, 2016